

## आ दे श

सत्र 2015-16 हेतु प्रथम वर्ष में प्रवेश हुये है, द्वितीय वर्ष अंतिम वर्ष के छात्र/छात्राओं द्वारा प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं की रैगिंग को रोकने एवं किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा नये छात्र/छात्राओं के साथ कोई अशोभनीय एवं अमानवीय व्यवहार को रोकने हेतु संस्था स्तर पर अनुशासन समिति का गठन किया जाता है जिसमें निम्नलिखित स्टाफ को अनुशासन समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है।

अनुशासन समिति का यह दायित्व होगा कि वे संस्था परिसर एवं संस्था परिसर के आस-पास पुराने एवं नये छात्रों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई रैगिंग/झगडा/मतभेद न होने दें। यदि अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में इस प्रकार का कोई विवाद आता है तो अनुशासन समिति के सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

1-श्रीमती नर्मदा सिंह	विभागाध्यक्ष फार्मसी	अध्यक्ष अनुशासन समिति
2- श्री बृजेश पाण्डे	व्याख्याता विधुत	सदस्य
3- डा0 संजय कुमार	व्याख्याता रसायन	सदस्य
4- श्री तरुण अरोडा	व्याख्याता फार्मसी	सदस्य
5- श्री तपन अरोडा	व्याख्याता पीजीडीसीए	सदस्य
6- श्री धीरज कुमार बनवाल	व्याख्याता आई0टी0	सदस्य
7- श्री आर0पी0 चन्दोला	व्याख्याता विधुत	सदस्य
8- श्री संदीप नौटियाल	व्याख्याता कम्प्यूटर साइंस	सदस्य
9- श्री रामनरेश सिंह सचान	व्याख्याता इलैक्ट्रानिक्स	सदस्य
10-कु0 शिल्पा	व्याख्याता फार्मसी	सदस्य
11-कु0 पिम्मा देवी	व्याख्याता मैकेनिकल	सदस्य
12-सु0श्री प्रिया डंगवाल	व्याख्याता फार्मसी	सदस्य
10-श्री श्यामल गांगूली	सहायक प्रवक्ता यांत्रिक	सदस्य
11-श्री एस0सी0उनियाल	कला अनुदेशक	सदस्य
12-श्री दिनेश कुमार शर्मा	कर्मशाला अनुदेशक	सदस्य
12-श्री कृष्ण कुमार	लैव सहायक फार्मसी	सदस्य
13-श्री राजेश कुमार	कर्मशाला अनुदेशक	सदस्य
14-श्रीमती शशि नौटियाल	कर्मशाला अनुदेशक	सदस्य

विशेष- प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष /विभाग प्रभारी का यह दायित्व होगा कि अपने विभाग में पूर्ण रूप से अनुशासन बनाये रखें। विशेष रूप से मध्यान्तर के समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे अपने विभाग के स्तर से सुलझाना सुनिश्चित करें।

यह भी अवगत कराना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा,भारत सरकार नई दिल्ली ने रैगिंग को एक दण्डनीय अपराध मानते हुये रैगिंग को रोकने के लिये सख्त कार्यवाही करने के आदेश पारित किये है। इस दिशा में निदेशक महोदय के द्वारा भी सख्त आदेश दिये गये है कि यदि कोई छात्र/छात्रा रैगिंग करते हुये पाये जाते है तो उनके विरुद्धसख्त कार्यवाही की जाये एवं कार्यवाही से निदेशक महोदय को अवगत कराया जाये।

छात्र/छात्रा का नाम रैगिंग में आने पर उनके निलंबन की कार्यवाही /कानूनी कार्यवाही (FIR) का प्राविधान भी किया गया है।

अतः समिति के सदस्य यह सुनिश्चित कर लें कि संस्था स्तर पर किसी प्रकार की रैगिंग न होने देने के लिये उसके प्रति जागरुक रहें।

(बी0के0सिंह)  
प्रधानाचार्य

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक नरेन्द्रनगर,टिहरी-गढवाल  
पत्रांक 582-87 / छात्र अनु0/ अनुशासन/ प्रोक्टर  
प्रतिलिपि-

दिनांक 28-07-2015

- 1-निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड,श्रीनगर गढवाल।
- 2-उपजिलाधिकारी,नरेन्द्रनगर,टिहरी-गढवाल।
- 3-थानाध्यक्ष नरेन्द्रनगर
- 4-पुलिस चौकी पलासडा,नरेन्द्रनगर।
- 5-अध्यक्ष अनुशासन समिति श्रीमती नर्मदा सिंह,विभागाध्यक्ष फार्मसी,संस्थागत।
- 6-समिति के समस्त सदस्यों को नोट करने हेतु।

(बी0के0सिंह)  
प्रधानाचार्य